मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
19.7.99	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में वादी व वादी वकील को बार-बार अवाज लगवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को वादी व वादी वकील आगे चलाये रखने के इच्छुक नहीं लगते हैं। अतः मु. नं. 69/1993 दावा मूर्ति गोपाल जी बनाम मथुरा आदि खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बरान दफ्तर में दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:10 IST
Reason: SelfAttested